

परिचालन प्रकृति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन कराये जाने हेतु एजेन्डा प्रस्ताव

विषय :- खसरा सं० 519, 522, 523, 524 व 525/5 एवं 33/4 ग्राम छजारसी पर रक्षा विज्ञान सहकारी आवास समिति लि० द्वारा कय योग्य एक०ए०आ० शुल्क को किस्तों में लिये जाने के सम्बन्ध में ।

रक्षा विज्ञान सहकारी आवास समिति द्वारा प्राधिकरण में कय योग्य एक०ए०आ० के साथ समवित्र प्रस्तुत किया गया है जिसने कय योग्य एक०ए०आ० हेतु देते धनराशि को किस्तों में भुगतान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है । प्राधिकरण द्वारा नवम्बर 2008 में कय योग्य एक०ए०आ० को निर्माण अनुका के समय आवेदन लिये जाने तथा एक०ए०आ० शुल्क वसूलित स्वीकृति से पूर्व लिये जाने के प्राविधान का उल्लेख करते हुए समिति का अनुरोध उ०अ० शासन को पत्र संख्या 443/ए०पी०/13 दिनांक 22-1-14 (धारा प्रति संलग्न) तन्दर्भित किया गया था । उ०अ० शासन के पत्र संख्या 158/8-3-14-प्रविध/14 दिनांक 22-8-14 (धारा प्रति संलग्न) के द्वारा कय योग्य एक०ए०आ० की वसूली हेतु किस्तों के निर्धारण की व्यवस्था हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाने का उल्लेख किया गया है :-

- 1- व्यक्तिगत आवेदन, कम्पनी/निजी प्रेक्चरकर्ता तथा सहकारी आवास समिति के प्रकरणों में मुख्यक के क्षेत्रफल के आधार पर एकमुश्त देय कय योग्य एक०ए०आ० शुल्क की अलग-2 अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती चाहिए और शुल्क की धनराशि उक्त निर्धारित सीमा से अधिक होने की वशा से दो किस्तों की सुविधा दी जानी चाहिए ।
- 2- कय योग्य एक०ए०आ० शुल्क का भुगतान किस्तों में किये जाने की दशा में साधारण ब्याज की दर तथा समय से भुगतान न करने की दशा में बम्ब धारा की दर नियमित की जानी चाहिए ।
- 3- किस्तों में भुगतान के सम्बन्ध में आवेदक तथा प्राधिकरण के मध्य एग्रीमेंट निष्पादित होना चाहिए ।
- 4- शुल्क के भुगतान में दिक्कत की स्थिति में मू-राजस्व बचाले के रूप में वसूली के लिए भी प्राविधान किया जाना चाहिए ।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तावित प्रकरण को उपरोक्त शर्तों के अधीन प्राधिकरण बोर्ड के तहत में प्रस्तुत कर बोर्ड की सहमति उपरान्त प्रस्तावित प्रकरण में कार्यवाही पूर्ण की जाए ।

प्राधिकरण स्तर पर उपरोक्त प्रकरण का परीक्षण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया था । समिति द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुए कय योग्य एक०ए०आ० हेतु निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्न हस्तुति की गयी है । (समिति की रिपोर्ट संलग्न)

- 1- कय योग्य एक०ए०आ० की धनराशि रु० 2.00 करोड़ से अधिक होने की स्थिति में दो किस्तों का प्राविधान किया जाए ।

- 2- सहकारी आवास समिति के मानचित्रों के प्रकरणों में प्रारम्भ में कुल कय योग्य एकड़/अंश/शुल्क की 25 प्रतिशत धनराशि मानचित्र स्वीकृति से पूर्व जमा कराया जाए।
 - 3- व्यक्तिगत/निजी विकास कर्ताओं के प्रकरण में कय योग्य एकड़/अंश/शुल्क का 50 प्रतिशत मानचित्र स्वीकृति से पूर्व जमा कराया जाए।
 - 4- उपरोक्त कर्मांश 1 व 2 पर उल्लिखित प्राधिकारों में अवशेष धनराशि को एक वर्ष की दो किश्तों में 16.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के साथ किश्तों का निर्धारण किया जाए एवं बिलम्ब होने की स्थिति में 19.75 प्रतिशत वण्ड ब्याज लिया जाए।
 - 5- धनराशि समय से जमा न करने वाले की स्थिति में मू-राजस्व के बकाये के रूप में धनराशि बसूली जाए।
 - 6- कय योग्य एकड़/अंश/शुल्क की देयता सुनिश्चित करने के लिए किश्तों हेतु अवशेष धनराशि के सामने भूमि को प्राधिकरण के पक्ष में पंजीकृत बंधन पत्र के माध्यम से बंधक रखा जाए अथवा उक्त धनराशि के समकक्ष बैंक गारन्टी प्राप्त की जाए।
 - 7- उपरोक्त हेतु प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध भी निश्चित करना होगा।
- उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत है -
- (1) शासन के पत्र दिनांक 22-8-14 के क्रम में रख विधान सहकारी आवास समिति को प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की उपरोक्त संस्तुति के अनुसार कय योग्य एकड़/अंश/शुल्क हेतु किश्तों की सुविधा प्रदान की जाए।
 - (2) प्राधिकरण स्तर पर गठित समिति की उपरोक्त संस्तुति अनुसार कय योग्य एकड़/अंश/शुल्क किश्तों में लिये जाने की व्यवस्था की स्वीकृति हेतु शासन को सन्दर्भ प्रेषित किया जाए।
- उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष परिचालन के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

(अरविन्द कुमार त्यागी)
डी.पी. कोऑर्डिनेटर प्लानर
एन०डी०आर० चोल,
गाँवियाबाद
(सिंहराज)
नगर सरकारी सदस्य
जी०डी०ए० बोर्ड

(परमेश्वर प्रसाद)
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

(वी०के०एस० श्रीवास्तव)
विशेष सचिव
विजय (कय नियंत्रण अनुभाग-६)

(अमरपाल)
(जीम त्यागी)
नगर सरकारी सदस्य
जी०डी०ए० बोर्ड

(विनिषा)
(प्रिती पाण्डे)
नगर सरकारी सदस्य
जी०डी०ए० बोर्ड

(अनिल स्वामी)
नगर सरकारी सदस्य
जी०डी०ए० बोर्ड

(राम किशोर अग्रवाल)
नगर सरकारी सदस्य
जी०डी०ए० बोर्ड

(विमवीर ठापा)
नगर सरकारी सदस्य
जी०डी०ए० बोर्ड

(राजेश यादव)
नगर सरकारी सदस्य
जी०डी०ए० बोर्ड

(प्रमोद निदेशक)
जल निगम, उ०प्र०, लखनऊ
के प्रतिनिधि

(सुरेश कुमार सिंह)
नगर आयुक्त, नगर निगम
गाजियाबाद

(विमल कुमार शर्मा)
जिलाधिकारी
गाजियाबाद

(संतोष कुमार यादव)
उपायुक्त
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित
(संतोष कुमार यादव)
अध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण